आकाशवाणी श्री विजयपुरम
दिनांक : 08.02.2026
समय : 1905

<><><><><><><>

1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुआलालंपुर में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।

2. उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति ने 'नेशन फॉर द नेशन 2.0' नामक नब्बे दिवसीय देशव्यापी अभियान शुरू किया है।

3. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम, दो हजार पच्चीस से संबंधित प्रस्तावित आयकर नियमों और प्रपत्रों पर हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

4. सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय की ओर से खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने और स्टारगेजिंग गतिविधियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

<><><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुआलालंपुर में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस वार्ता में रक्षा और सुरक्षा संबंधों को बढ़ाने तथा आर्थिक और नवाचार साझेदारी को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित किया गया। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने कई समझौतों और दस्तावेजों का आदान–प्रदान किया। इनमें आपदा प्रबंधन, ऑडियोविजुअल सह–निर्माण, भ्रष्टाचार निवारण और रोकथाम, सेमीकंडक्टर विकास, स्वास्थ्य और औषधि, छात्रवृत्ति के संस्थान तथा एनपीसीआई इंटरनेशलन पेमेंट्स लिमिटेड और पेनेट ऑफ मलेशिया के बीच के समझौता ज्ञापन शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तथा मलेशिया के बीच समुद्री सुरक्षा, रक्षा और आतंकवाद से मुकाबले से संबंधी सहयोग में विस्तार होगा। श्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, अवसंरचना, विनिर्माण और डिजिटल अर्थव्यवस्था में द्विपक्षीय सहयोग भी सशक्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग गहराएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के एक सम्मेलन में भी भागीदारी की। इस सम्मेलन में निवेश अवसरों और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई।

<><><><><><><>

उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति ने 'नेशन फॉर द नेशन 2.0' नामक नब्बे दिवसीय देशव्यापी अभियान शुरू किया है। मध्यस्थता विवाद समाधान का एक तीव्र, लागत प्रभावी और

सौहार्दपूर्ण तरीका है, जो सभी के लिए न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने के लक्ष्य में योगदान देता है। दो जनवरी से शुरू हुए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत भर की तालुका अदालतों, जिला अदालतों और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा करना है। इस पहल का लक्ष्य उन लंबित मामलों को सुलझाना है, जिनमें समझौते और सुलह की गुंजाइश है। इनमें वैवाहिक मामले, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा, शमनीय आपराधिक, भूमि अधिग्रहण, विभाजन, बेदखली, वाणिज्यिक विवाद, उपयुक्त सेवा मामले, श्रम कानून, अनुबंध अधिनियम से जुड़े मामले, उपभोक्ता मामले और अन्य उपयुक्त नागरिक मामले शामिल है। आम जनता से इस पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा गया है।

<><><><><><><>

परिवहन विभाग ने कहा है कि कई पुराने वाहनों के विक्रेता अनिवार्य डीलर ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट प्राप्त किए बिना अपना व्यवसाय चला रहे हैं। इसके कारण वाहनों के स्वामित्व का हस्तांतरण ठीक से नहीं हो पा रहा है और 'वाहन' डेटाबेस में रिकॉर्ड अपडेट नहीं हो पा रहे हैं। इस संबंध में परिवहन विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि पुराने वाहनों की खरीद–बिक्री में लगे सभी व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों से वैध डीलर ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट के बिना व्यवसाय करना केंद्रीय मोटर वाहन नियम, उन्नीस सौ नवासी के प्रावधानों का उल्लंघन है। बिना प्रमाणपत्र के वाहनों की खरीद–बिक्री करने वाले व्यक्तियों और संस्थानों के खिलाफ प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

<><><><><><><>

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम, दो हजार पच्चीस से संबंधित प्रस्तावित आयकर नियमों और प्रपत्रों पर हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। आयकर अधिनियम–दो हजार पच्चीस को पिछले वर्ष अगस्त में राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी थी। यह इस वर्ष पहली अप्रैल से लागू होगा।

इस बीच, सरकार ने आयकर नियमों और प्रपत्रों, दो हजार छब्बीस के मसौदे पर जनता और हितधारकों से टिप्पणियाँ आमंत्रित की हैं। ये इस महीने की बाईस तारीख तक आयकर कार्यालय के आधिकारिक पोर्टल पर भेजी जा सकती हैं। आयकर कार्यालय ने सूचित किया है कि मसौदा नियम सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं। इसका उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना और सहभागी तथा प्रभावी नियम निर्माण प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।

<><><><><><><>

भारतीय रग्बी इंडिया के अध्यक्ष राहुल बोस ने कल राज्य ओलंपिक कार्यालय का दौरा कर द्वीपों के रग्बी खिलाड़ियों के साथ बातचीत की। इस अवसर पर राज्य ओलंपिक संघ के महासचिव वी. ए. शियाद भी उनके साथ उपस्थित थे। मुलाकात के दौरान श्री बोस ने युवा खिलाड़ियों को समर्पण, अनुशासन और खेल भावना के साथ इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने द्वीपों में रग्बी को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों और युवाओं में बढ़ते रुझान की प्रशंसा की। उन्होंने जमीनी स्तर पर रग्बी के विकास के लिए अपना निरंतर सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस दौरान रग्बी एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद एच. जाडवेट, पूर्व अध्यक्ष मंजू सिंह और नवनिर्वाचित अध्यक्ष पी. एन. मनोज कुमार भी उपस्थित थे।

<><><><><><><>

सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय की ओर से खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने और स्टारगेजिंग गतिविधियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पर्यटन विभाग ने दक्षिण अंडमान और मध्योत्तर अंडमान जिले में रात के समय तारा दर्शन गतिविधियों के संचालन के लिए इच्छुक व्यक्तियों, खगोल पर्यटन ऑपरेटरों और आयोजकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन गतिविधियों के लिए प्रस्तावित स्थलों में करमाटांग समुद्र तट, रामनगर तट, बिडनाबाद, बर्मानाला, कोडियाघाट समुद्र तटीय क्षेत्र के अलावा वाइपर द्वीप शामिल है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खगोल पर्यटन को एक पर्यावरण के अनुकूल और स्थायी गतिविधि के रूप में बढ़ावा देना है। इसके लिए इच्छुक आवेदक अपना लिखित आवेदन 10 फरवरी, तक सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय में जमा कर सकते हैं।

<><><><><><><>

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की दिसंबर 2025 की टर्म एंड परीक्षा के लिए मनोविज्ञान स्नातकोत्तर की प्रयोगात्मक परीक्षाएँ ग्यारह फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। ये परीक्षाएँ इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र में आयोजित की जाएंगी। परीक्षाओं का विवरण विद्यार्थियों को ईमेल के माध्यम से जारी किया गया है। इसके अलावा, इसे क्षेत्रीय केंद्र के सोशल मीडिया अकाउंट्स और जवाहर लाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय स्थित अध्ययन केंद्र के सूचना पट्ट पर भी दर्शा दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए इग्नू क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क किया जा सकता है।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा प्रयोगशाला तकनीशियन एवं काउंसलर के रिक्त पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का साक्षात्कार चौदह फरवरी को लिया जाएगा। साक्षात्कार स्वास्थ्य सेवा निदेशक

के कक्ष में सुबह साढ़े नौ बजे से आयोजित होगा। दस्तावेजों का सत्यापन बारह फरवरी को परियोजना निदेशक के कार्यालय में सुबह दस बजे से शाम साढ़े चार बजे तक किया जाएगा।

<><><><><><><>

समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत 'स्टेट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन' में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ और लिंग विशेषज्ञ के पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची समाज कल्याण निदेशालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित कर दी गई है। दस्तावेज़ के सत्यापन का कार्य ग्यारह फरवरी को सुबह दस बजे गोलघर स्थित समाज कल्याण निदेशालय में किया जाएगा और साक्षात्कार बारह फरवरी को सुबह साढ़े नौ बजे शिक्षा सदन स्थित समाज कल्याण सचिव के कक्ष में लिया जाएगा। सभी उम्मीदवारों से निर्धारित समय पर अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित रहने को कहा गया है।

<><><><><><><>